[2021] 12 एस. सी. आर. 557

एम. आर. विनोदा

बनाम

एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)। और अन्य

(2017 की सिविल अपील संख्या 2567)

13 दिसंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव और संजीव खन्ना, जे. जे.]

संयुक्त हिंदू परिवार की शाखाएँ-15 अप्रैल 1961 को, सबसे बड़ी तीन शाखाओं के सदस्यों ने विभाजन विलेख निष्पादित किया

संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्तियाँ-13 मार्च 1969 को, दो शाखाओं के सबसे बड़े बेटों ने एक त्याग विलेख निष्पादित किया जिसमें उन्होंने 'पी' नामक तीसरी शाखा के प्रमुख के पक्ष में अपनी शाखा का हिस्सा छोड़ दिया-18 नवंबर 1994 को, वादी No.1-4, शाखा में से एक के छोटे बेटों ने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि त्याग विलेख अमान्य था-निचली अदालत ने मुकदमे को सीमित रूप से वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 त्याग विलेख निष्पादित करने का हकदार था-प्रथम अपीलीय अदालत

वाद ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए आदेश दिया कि प्रतिवादी संख्या 4 त्याग विलेख को निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं था, जो शून्य होने के कारण, वाद को सीमा द्वारा वर्जित नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि त्याग विलेख प्रारंभ से शून्य नहीं था और वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया जाना था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का निपटान कर सकता है जिसमें नाबालिग के अविभाजित हित शामिल हैं।

परिवार-इसलिए, यह तर्क कि वादी संख्या 4 13 मार्च 1969 को नाबालिग होने के कारण, उनके सबसे बड़े भाई प्रतिवादी संख्या 4 को कोई अधिकार नहीं था

अपने शेयरों को त्याग देना त्याग दिया जाता है-क्योंकि वादी के पिता की 1967 में मृत्यु हो गई थी, प्रतिवादी संख्या 4, शाखा के सबसे बड़े भाई के रूप में कर्ता होने के नाते, अकेले संयुक्त हिंदू परिवार की शाखा की ओर से संपत्ति का प्रबंधन कर सकता था, जिसके वह प्रमुख थे-एक कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति को मूल्य के लिए अलग कर सकता था, या तो कानूनी आवश्यकता के लिए या संपत्ति के लाभ के लिए, सभी के हितों को बांधने के लिए।

परिवार के अविभाजित सदस्य-विभाजन विलेख स्वीकार करता है कि संयुक्त परिवार की स्थिति के दौरान, "सभी संपत्तियों" को रुपये में गिरवी रखा गया था। 32,000 / - - मान लीजिए, पुनर्भुगतान किया गया और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियों को जल्द ही बंधक से मुक्त कर दिया गया।

त्याग विलेख के निष्पादन से पहले-भूमि सूचकांक में,

12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह उल्लेख किया गया था कि 'पी' ने संपत्ति जारी कर दी और अधिकारों को उसके पक्ष में छुड़ा लिया गया-त्याग विलेख 'पी' की शाखा के अधिकारों और हितों की स्वीकृति थी -

अभिलेख पर साक्षय, यह स्पष्ट है, 'पी' ने बंधक के मोचन में बड़े हिस्से का भुगतान किया था और कानूनी प्रबंधन किया था

मोचन वाद में कार्यवाही-'पी' द्वारा इस प्रकार किए गए पुनर्भुगतान ने पूरे परिवार के लिए ब्याज की सेवा की-इस प्रकार, 'पी' द्वारा किए गए ऋण के पुनर्भुगतान के कारण त्याग किया गया था-'पी' के साथ खाते का निपटान करने की कानूनी आवश्यकता थी जिसने अन्य शाखाओं के हिस्से में आई संपत्तियों को भुनाने के लिए महत्वपूर्ण भुगतान किया था-त्याग विलेख के लिए था

कानूनी आवश्यकता और परिवार की उसकी शाखा से संबंधित संपत्ति के लाभ के लिए-इसलिए, त्याग विलेख को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है-सीमा के प्रश्न के संबंध में, अनुच्छेद। 109 सीमा अधिनियम की अनुसूची मिताक्षर कानून द्वारा शासित पैतृक संपत्ति के पिता के अलगाव को दरकिनार करने के लिए एक शिकायत पर लागू होती है जिसमें कहा गया है कि मुकदमा 12 साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए जब विदेशी संपत्ति का कब्जा ले लेता है-कला लागू करके। 109 , मुकदमा सीमित रूप से प्रतिबंधित होगा क्योंकि यह 1994 में दायर किया गया था, त्याग विलेख निष्पादित होने के लगभग 24 साल बाद और वादी संख्या 3 के 1973 में बहुमत प्राप्त करने के लगभग 21 साल बाद।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय,

पकड़ना: 1. संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता नाबालिग के अविभाजित हित वाली संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का निपटान कर सकता है।

परिवार वहाँ से। यह स्थिति होने के कारण, एक सह-भागीदार कर्ता को जोड़ को अलग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकता है।

हिंदू परिवार की संपत्ति, लेकिन अलगाव को चुनौती देने का अधिकार है, क्योंकि अलगाव संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा चुनौती के दायरे से बाहर नहीं है, और इस तरह अदालत की जांच की जाती है। अंतिम अधिकार में संयुक्त परिवार की संपत्ति में अनावश्यक और अवांछित बोझों से मुक्त हिस्से का

दावा करने का अधिकार शामिल है, जबकि पूर्व संयुक्त परिवार के मामलों के प्रबंधन के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार स्वीकार करता है। के प्रकाश में

कानून के उपरोक्त प्रस्ताव, वादी संख्या 3 यह तर्क नहीं दे सकता है कि उनकी माँ, एक प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, त्याग विलेख के निष्पादन के समय जीवित होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 4 सबसे बड़े भाई के पास एम. आर. विनोदा बनाम का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार और अधिकार नहीं था।

एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)। और अन्य

और अपनी शाखा का प्रबंधन करें। वादी नंबर 3 के पिता, जिनकी 1967 में मृत्यु हो गई थी, प्रतिवादी नंबर 4, शाखा के सबसे बड़े भाई कर्ता होने के नाते, अकेले संयुक्त हिंदू परिवार की शाखा की ओर से संपत्ति का प्रबंधन कर सकते थे, जिसके वे प्रमुख थे।

[पारस 13,17] [565-एफ-एच; 566-ए; 569-सी]

मृतक) और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि बंसलगोआल दुबे और एक अन्य बनाम। एमएस.

रेवती देवी (मृत) और उनकी मृत्यु के बाद, एमएसटी। दयावती, उनकी बेटी [1962] 3 एससीआर 440; एम.

अरुमुगम बनाम। अम्मनियम्मल और अन्य (2020) 11 एस. सी. सी.

103 [2020] 1 एससीआर 41-पर निर्भर।

सुदर्शनम मैस्ट्रीव। नरसिम्हुलु मैस्त्री और एक अन्य

1901 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 91-पुष्टि की गई।

उन्होंने संयुक्त हिंदू परिवार के दर्जे से अलग होने का फैसला किया था। विभाजन विलेख, प्रदर्शनी पी-1, स्वीकार करता है कि संयुक्त के दौरान पारिवारिक स्थिति, "सभी संपत्तियों" को रुपये में एक 'एस' को गिरवी रखा गया था। 32,000 / - , किस बकाया ऋण राशि का निर्धारण किया गया था। अभिलेख पर साक्षय से, यह स्पष्ट है कि 'पी' ने अधिक भुगतान किया था

बंधक के मोचन में हिस्सेदारी और मोचन मुकदमे में कानूनी कार्यवाही का प्रबंधन किया था। 'पी' द्वारा इस प्रकार किए गए पुनर्भुगतान ने पूरे परिवार के लिए ब्याज की सेवा की, और जैसा कि 15 अप्रैल 1961 के विभाजन विलेख में दर्ज है, परिवार की "सभी संपत्तियों" को गिरवी रखा गया था। इस प्रकार, 'पी' के पक्ष में 'एम. आर.' और 'एम. पी.' द्वारा किया गया त्याग, विभाजन विलेख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा तीनों शाखाओं के बीच एक समझ के आधार पर 'पी' द्वारा किए गए ऋण के पुनर्भुगतान के कारण था। चूंकि

'पी' के साथ खाते का निपटान करने की कानूनी आवश्यकता थी, जिसने 'एम. आर.' शाखा के हिस्से में आने वाली संपत्तियों को भुनाने के लिए महत्वपूर्ण भुगतान किया था, इसलिए 'एम. आर.' अपनी प्रबंधकीय शक्ति के इस तरह के प्रयोग में संपत्ति में हिस्से को छोड़ने का हकदार था। [पैरा 22,28] [573-ए-बी; 574-एफ-एच; 575-ए-बी] [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

थम्मा वेंकट सुब्बम्मा (मृत) एल. आर. बनाम।

[1987] 3 एस. सी. आर. 236-पर निर्भर। 3. सीमा के प्रश्न के संबंध में अनुच्छेद 109 लागू होता है।

मिताक्षर कानून द्वारा शासित पैतृक संपत्ति के पिता के अलगाव को दरकिनार करने के लिए एक शिकायत। अनुच्छेद 109 के अनुसार,

प्रतिवादी ने 'पी' शाखा के पक्ष में और वादी संख्या 3 के 1973 में बहुमत प्राप्त करने के लगभग 21 साल बाद। इसी कारण से, सूट सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 और 59 के तहत वर्जित किया जाएगा क्योंकि यह अनुच्छेद 58 के अनुसार पहली बार अर्जित मुकदमा करने के अधिकार की तारीख से तीन साल बाद दायर किया गया था और जब वादी को लिखत या डिक्री को रद्द करने या अलग करने या रद्द किए गए अनुबंध को पहले अनुच्छेद 59 के अनुसार वादी की जानकारी में आया था। उच्च न्यायालय ने वादी की विशिष्ट और असत्य याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया कि मुकदमा दायर करने से दो महीने पहले तक, वे अनजान थे और अपने बड़े भाई, चौथे प्रतिवादी द्वारा त्याग विलेख के निष्पादन के बारे में नहीं जानते थे। [पैरा 33] [576-एफ-एच; 577-ए]

कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से केहर सिंह (मृत) और अन्य वी। नचितर कौर और अन्य (2018) 14 एस. सी. सी.

445 [2018] 9 एस. सी. आर. 986-निर्भर

मुल्ला का हिंदू कानून, 22 वां संस्करण-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 1 एससीआर 999

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[1988] 2 एससीआर 623

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[1962] 3 एससीआर 440

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[2020] 1 एससीआर 41

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[1987] 3 एससीआर 236

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

[2018] 9 एससीआर 986

उस पर भरोसा करें

पैरा 21 एम. आर. विनोदा बनाम एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)। और अन्य

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.2567

2017 से।

उच्च न्यायालय के 19.11.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 के आर. एस. ए. No.1989 में बैंगलोर में कर्नाटक का।

सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय, सुश्री संजना

ग्रेस थॉमस, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

यतीश, ई. सी. विद्या सागर, आफताब अली खान, राजेश महाले, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए।

संजीव खन्ना, जे। सुविधा के लिए, हम वंशावली तालिका को पुनः प्रस्तुत करके शुरू करते हैं

यह मुकदमा दायर करने के समय था जिससे वर्तमान अपील करता है:

नानजेगौड़ा

चिक्केगौड़ा

एम. सी. रुद्रप्पा

पटेल

मोगन्नागौड़ा @

मालेगौड़ा

पुट्टास्वामीगौड़ा

एम. आर.

एम. आर.

एमपी.

एम. आर.

एम. शांतप्पा

एच. एम.

एम. आर.

एम. आर.

बासवराजू

राजशेखर शिवकुमार मल्लेश विनोदा चिदानंद

पुट्टप्पा

(प्रतिवादी संख्या 11 [प्रतिवादी संख्या 2 [प्रतिवादी संख्या 3 [प्रतिवादी संख्या 4 और भाग संख्या 1 [विमान संख्या 2 [वादी संख्या 31 संयंत्र संख्या 4]

और रेनक्वेहर

त्यागकर्ता संख्या 2

नंबर 1]

हम उपरोक्त तालिका के अनुसार अपने सामने पक्षकारों का उल्लेख करेंगे, हालांकि यह जानते हुए कि उपरोक्त कई पक्षकारों की अवधि समाप्त हो चुकी है

स्वर्गीय नानजेगौड़ा के पुत्र, संबंधित शाखाओं के सबसे बड़े सदस्य होने के नाते, तीन शाखाओं के बीच संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियों को विभाजित करते हुए एक विभाजन विलेख, जिसे प्रदर्शनी पी-1 के रूप में चिह्नित किया गया था, को निष्पादित किया। वैधता और विभाजन विलेख, प्रदर्शनी पी-1 की वैधता स्वीकार की जाती है और इसे चुनौती नहीं दी जाती है।

3. 13 मार्च 1969 को एम. आर. राजशेखर पाँच में सबसे बड़े थे।

एम. सी. रुद्रप्पा के बेटे जिनकी 1967 में मृत्यु हो गई थी, और एम. पी. बासवराजू, मोगन्नागौड़ा @पुट्टास्वामीगौड़ा के इकलौते बेटे, जिनके पास [2021] 12 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह भी समाप्त हो गया, पटेल मालेगौड़ा के पक्ष में सर्वेक्षण संख्या 29, मडेनहल्ली गाँव (सूट संपत्ति) में 6 एकड़ 34 गुंटा की संपत्ति का एक त्याग पत्र, जिसे प्रदर्शनी पी-2 के रूप में चिह्नित किया गया था, निष्पादित किया गया।

4. स्वर्गीय एम. सी. रुद्रप्पा के सभी छोटे बेटों, एम. आर. शिवकुमार (वादी संख्या 1), एम. आर. मल्लेश (वादी संख्या 2), एम. आर. विनोदा (वादी संख्या 3) और एम. आर. चिदानंद (वादी संख्या 4) ने 18 नवंबर 1994 को एक मुकदमा दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि उनके सबसे बड़े भाई एम. आर. रुद्रप्पा द्वारा 13 मार्च 1969 को निष्पादित त्याग पत्र, प्रदर्शनी पी-2।

राजशेखर, प्रतिवादी संख्या 4, और उनके चचेरे भाई एम. पी. बासवराजू, उनके सबसे बड़े चाचा पटेल मालेगौड़ा के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 3 अमान्य है। पटेल मालेगौड़ा की मृत्यु के बाद, उनके बेटों एम. शांतप्पा और एच. एम. पुट्टप्पा को प्रतिवादी संख्या के रूप में शामिल किया गया। 1 और 2.

5. संक्षेप में, शिकायत में कहा गया है कि वादी संख्या 4 13 मार्च 1969 को नाबालिग होने के कारण, उनके सबसे बड़े भाई एम. आर. राजशेखर,

चौथे प्रतिवादी को अपने हिस्से छोड़ने का कोई अधिकार नहीं था। 1 13 मार्च 1969 का त्याग विलेख, प्रदर्शनी पी-2, शून्य होने के कारण, संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति बनी रही और उन्हें उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए।

6. प्रतिवादी संख्या द्वारा मुकदमे का विरोध किया गया था। 1 3 मुख्य रूप से इस आधार पर कि त्याग विलेख वैध है और वाद द्वारा वर्जित है सीमा।

7. निचली अदालत ने मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया और

कि प्रतिवादी संख्या 4, सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होने के नाते, परिवार की अपनी शाखा की ओर से त्याग विलेख को निष्पादित करने का हकदार था। 8. नियमित पहली अपील में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि प्रतिवादी संख्या 4 सक्षम नहीं था

त्याग विलेख को निष्पादित करें, जो शून्य होने के कारण, मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित नहीं था।

9. प्रतिवादी संख्या 1 के कानूनी प्रतिनिधियों को वरीयता दी गई

2006 की नियमित दूसरी अपील संख्या 1989 और 19 नवंबर 2008 को बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित चुनौती के तहत निर्णय द्वारा सफल हुए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय देते हुए कि त्याग विलेख शुरू से ही अमान्य नहीं है और मुकदमा दायर किया गया है, सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 58 और 59 के तहत निर्धारित तीन साल से अधिक समय तक सीमित था। विभाजन के लिए प्रार्थना थी

' याचिका के अनुसार, वादी संख्या 4 को छोड़कर सभी वादी त्याग विलेख के निष्पादन के समय बहुमत प्राप्त कर चुके थे। यह देखा गया है कि चार वादियों के जन्म के वर्ष के संबंध में कुछ विसंगति है। हालाँकि, वर्तमान निर्णय के संदर्भ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

एम. आर. विनोदा बनाम एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)।

और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि संपत्ति तीन शाखाओं के बीच एक संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति नहीं रह गई थी।

10. निर्णय से व्यथित, वादी संख्या 3 ने इसे प्राथमिकता दी है

अपील करें। वादी संख्या 1, जिसका प्रतिनिधित्व उसके कानूनी प्रतिनिधि, वादी संख्या 1 द्वारा किया जाता है। 2 और 4, इस अपील को प्राथमिकता नहीं देने के कारण प्रोफार्मा है

उत्तरदाता सं। 8 , 9 और 10. प्रतिवादी संख्या 1, जिसका प्रतिनिधित्व उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 और प्रतिवादी संख्या 2 हैं। उनके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 5, और प्रतिवादी संख्या 4 वर्तमान अपील में प्रतिवादी संख्या 7 है। द.

प्रतिवादी संख्या 3, प्रतिवादी संख्या 6, को पार्टियों की श्रृंखला से हटा दिया गया है।

11. इससे पहले कि हम इसकी वैधता के प्रश्न की जांच करें

त्याग विलेख, हमें एक संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति से निपटने के लिए शाखा या कर्ता के प्रमुख के अधिकार और अधिकार को परिभाषित करना चाहिए

वादी सं. 4, संयुक्त परिवार में एक सह-पक्षकार, यह स्वीकार किया जाता है कि 2 नाबालिग था जब चौथे प्रतिवादी ने 13 मार्च 1969 को त्याग विलेख, प्रदर्शनी पी-2 को निष्पादित किया था।

12. हिंदू कानून में स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। श्री नारायण में

बाल और अन्य बनाम। श्रीधर सुतार और अन्य, 3 यह न्यायालय हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 64 और 85 की व्याख्या कर रहा है।

2 अपीलार्थी ने अपनी विशेष अनुमति याचिका, आधार (डी. डी.) में कहा है कि अपीलार्थी त्याग विलेख के निष्पादन के समय नाबालिग था। पैराग्राफ 11 में दिए गए जवाबी हलफनामे में भी अपीलकर्ता ने कहा है कि वह बालिग नहीं था। हालाँकि, टिप्पणी 1 देखें। 3 (1996) 8 एससीसी 54। 46. एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक। — नाबालिग के व्यक्ति के साथ-साथ नाबालिग की संपत्ति (संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर) के संबंध में हिंदू नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक हैं -

(क) लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में-पिता और उसके बाद माँ: बशर्ते कि एक नाबालिग की अभिरक्षा जिसने पाँच वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, आम तौर पर माँ के पास होगी;
(ख) अवैध लड़के या अवैध अविवाहित लड़की के मामले में -

माँ, और उसके बाद, पिता;

(ग) विवाहित लड़की के मामले में-पति:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों के तहत नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा।

((क) यदि वह हिंदू नहीं रह गया है, या
(ख) यदि उसने पूरी तरह से और अंत में एक संन्यासी बनकर दुनिया का त्याग कर दिया है।

(वानप्रस्थ) या एक तपस्वी (यति या संन्यासी)।

स्पष्टीकरण। इस खंड में, "पिता" और "माँ" अभिव्यक्तियों में सौतेले पिता और सौतेली माँ शामिल नहीं हैं। 58. प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ। — (1) हिंदू नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक के पास इस धारा के प्रावधानों के अधीन, उन सभी कार्यों को करने की शक्ति है जो आवश्यक या उचित हैं [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(" एच. एम. जी. एक्ट ", संक्षेप में), ने माना है कि इन दोनों धाराओं को अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए, भले ही सामंजस्य और संयोजन में, और जब एक साथ पढ़ा जाए तो इरादा स्पष्ट है कि एच. एम. जी. अधिनियम एक संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में एक हिंदू नाबालिग के अविभाजित हित के प्राकृतिक संरक्षक की परिकल्पना नहीं करता है। धारा 8 के तहत अकेले व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक पर विचार किया गया है, जिसके तहत एक प्राकृतिक अभिभावक की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। एच. एम. जी. ए. अधिनियम के प्रावधान नाबालिग के अलग व्यक्तिगत हित को दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से नाबालिग की संपत्ति के किसी भी हिस्से को अलग करने से पहले अदालत से अनुमति लेने के लिए एक प्राकृतिक अभिभावक की आवश्यकता होती है, जो कर्ता या शाखा के प्रमुख के प्रबंधन के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है और

और नाबालिग के लाभ के लिए या नाबालिग की संपत्ति की प्राप्ति, संरक्षण या लाभ के लिए उचित; लेकिन अभिभावक किसी भी मामले में नाबालिग को व्यक्तिगत वाचा द्वारा बाध्य नहीं कर सकता है।

(2) प्राकृतिक संरक्षक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा

अदालत,

(क) बंधक या शुल्क, या बिक्री, उपहार, विनिमय या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण,

नाबालिग की अचल संपत्ति का कोई हिस्सा, या

(ख) ऐसी संपत्ति के किसी भी हिस्से को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए या उस तारीख से एक साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देना जिस दिन नाबालिग वयस्क होगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उल्लंघन में प्राकृतिक संरक्षक द्वारा अचल संपत्ति का कोई भी निपटान नाबालिग या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के कहने पर अमान्य है।

(4) कोई भी अदालत प्राकृतिक अभिभावक को उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं देगी, सिवाय आवश्यकता के मामले में या नाबालिग को स्पष्ट लाभ के लिए।

(5) संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890, उप-धारा (2) के तहत अदालत की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पर और उसके संबंध में हर तरह से लागू होगा जैसे कि यह उस अधिनियम की धारा 29 के तहत अदालत की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन था, और विशेष रूप से

(क) आवेदन के संबंध में कार्यवाही को उसकी धारा 4-क के अर्थ के भीतर उस अधिनियम के तहत कार्यवाही माना जाएगा; (ख) न्यायालय प्रक्रिया का पालन करेगा और उसके पास उप-अधिनियम में निर्दिष्ट शक्ति होगी।

उस अधिनियम की धारा 31 की धारा (2), (3) और (4); और

(ग) इस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी भी कार्य को करने के लिए स्वाभाविक अभिभावक को अनुमति देने से इनकार करने वाले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उस न्यायालय में अपील की जाएगी, जिसमें उस न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील की जाती है।

(6) इस धारा में "न्यायालय" का अर्थ है नगर सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय या स्थानीय निकायों के भीतर अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 4-ए के तहत सशक्त न्यायालय।

जिसकी अधिकारिता की सीमाएँ वह अचल संपत्ति है जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, और जहाँ अचल संपत्ति एक से अधिक ऐसे न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित है, उसका अर्थ है वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है।

एम. आर. विनोदा बनाम एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)।

और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति से निपटने से। धारा 126 के अनुसार, आम तौर पर संयुक्त हिंदू परिवार में नाबालिग के हित के लिए कोई अभिभावक नियुक्त नहीं किया जाएगा। केवल तभी जब संयुक्त परिवार की संपत्ति के प्रबंधन में कोई वयस्क सदस्य नहीं है जिसमें नाबालिग का अविभाजित हित है-और फिर अकेले-एक अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा, संयुक्त परिवार की संपत्ति के प्रबंधन में परिवार का वयस्क सदस्य एक पुरुष या महिला हो सकता है, जरूरी नहीं कि कर्ता हो। इसलिए, की धारा 8

एच. एम. जी. ए. एक्ट, जिसमें एक हिंदू नाबालिग के अभिभावक को नाबालिग की किसी भी अचल संपत्ति का निपटान करने से पहले अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, का तब कोई आवेदन नहीं होगा जब परिवार का कोई कर्ता या वयस्क प्रमुख संयुक्त हिंदू संपत्ति को अलग करता है, भले ही एक या एक से अधिक सह-भागीदार नाबालिग हों। इसका कारण यह है कि धारा 6 और 12 की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, धारा 8 लागू नहीं होगी जहां एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति बेची/निपटाई जाती है।

कर्ता या परिवार के मुखिया द्वारा, भले ही किसी नाबालिग का उक्त संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में अविभाजित हित हो। श्री नारायण बल (ऊपर) का कहना है:

" 5. संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिंदू नाबालिग के अविभाजित हित के संबंध में, उपरोक्त प्रावधान संयुक्त परिवार की संपत्ति के मोती हैं।

एक ही स्ट्रिंग और एक ही झलक में देखने की आवश्यकता है,

संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। अतः धारा 8 को ध्यान में रखते हुए जहां धारा 6 और 12 की स्पष्ट शर्तें लागू नहीं होंगी

संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति कर्ता द्वारा बेची/निपटाई जाती है। उक्त संयुक्त हिंदू में नाबालिग का अविभाजित हित शामिल करना।

पारिवारिक संपत्ति "।

13. इस प्रकार, एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता जोड़ों का निपटान कर सकता है।

परिवार की संपत्ति जिसमें परिवार के नाबालिग का अविभाजित हित शामिल है। इसलिए वादी संख्या 3/अपीलार्थी का संयुक्त परिवार की ओर से संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का प्रबंधन और बिक्री करने की कर्ता की शक्ति की सीमा पर प्रस्ताव जिसमें एक नाबालिग शामिल है।

6 12. संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में नाबालिग के अविभाजित हित के लिए संरक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। जहां एक नाबालिग का संयुक्त परिवार की संपत्ति में अविभाजित हित है और संपत्ति परिवार के एक वयस्क सदस्य के प्रबंधन में है, ऐसे अविभाजित हित के संबंध में नाबालिग के लिए कोई अभिभावक नियुक्त नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात ऐसे हित के संबंध में संरक्षक नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करेगी।

गलत है, क्योंकि सहायक को संयुक्त पारिवारिक मामलों के प्रबंधन के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्थिति होने के कारण, एक सह-भागीदार कर्ता को संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकता है, लेकिन उसे अलगाव को चुनौती देने का अधिकार है, क्योंकि अलगाव संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा चुनौती के दायरे से बाहर नहीं है, और इस तरह अदालत की जांच की जाती है। बाद के अधिकार में संयुक्त परिवार की संपत्ति में अनावश्यक

और अवांछित बोझों से मुक्त हिस्से का दावा करने का अधिकार शामिल है, जबकि पूर्व में संयुक्त परिवार के प्रबंधन के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार शामिल है।

मामले। हम बाद में उन आधारों और परिस्थितियों की जांच करेंगे जिनमें अलगाव को चुनौती दी जा सकती है।

14. एक हिंदू परिवार की अलग-अलग शाखाएँ हो सकती हैं। हिंदू कानून के दृष्टिकोण से, एक परिवार की ऐसी शाखाएँ हैं -

अलग-अलग निकाय, जिसमें उस शाखा का सबसे बड़ा हिस्सा बड़े संयुक्त हिंदू परिवार के साथ इसका प्रतिनिधित्व करता है। पिता और पिता की अनुपस्थिति में

शाखा के सबसे बड़े सदस्य कर्ता के रूप में कार्य करने के हकदार हैं और उस क्षमता में शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान दयाल में (मृत होने के बाद से) और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि बंसगोल दुबे

और अन्य। एमएस. रेवती देवी (मृत) और उनकी मृत्यु के बाद, एमएसटी। दयावती, उनकी बेटी, 8 इस न्यायालय ने कानून को इस रूप में विच्छेदित किया:

" 47. मेन के हिंदू कानून में, 11 वीं संस्करण। , कानूनी स्थिति रही है

पी में इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा गया है। 347 :

" जब तक कोई परिवार एक अविभाजित परिवार बना रहता है, तब तक उसके दो या दो से अधिक सदस्य, चाहे वे अलग-अलग शाखाओं के सदस्य हों या परिवार की एक ही शाखा के, एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में कोई कानूनी अस्तित्व नहीं रख सकते हैं; लेकिन सभी सदस्य

किसी शाखा की, या किसी उप-शाखा की, बड़े निगमित परिवार के भीतर एक विशिष्ट और अलग निगमित इकाई बना सकती है और ऐसी संपत्ति। ऐसी संपत्ति शाखा के सदस्यों की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति होगी, लेकिन अलग संपत्ति होगी।

उस शाखा के बड़े परिवार के संबंध में।

अविभाजित हिंदू परिवार की संयुक्त संपत्ति के मामले को छोड़कर संयुक्त किरायेदारी का सिद्धांत हिंदू कानून के लिए अज्ञात है।

मिताक्षर कानून द्वारा शासित। ”

' सुनील कुमार और एक अन्य वी। राम प्रकाश और अन्य (1988) 2 एस. सी. सी. 77। 8 (1962) 3 एससीआर 440।

एम. आर. विनोदा बनाम एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)। और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

कानूनी स्थिति इस प्रकार बताई जा सकती है: कोपारसेनरी एक प्राणी है

हिंदू कानून के अधीन है और पक्षकारों की सहमति से नहीं बनाया जा सकता है सिवाय इसके कि पुनर्मिलन के मामले में। यह एक निगमित निकाय या एक पारिवारिक इकाई है। द.

कानून परिवार की एक शाखा को अधीनस्थ के रूप में भी मान्यता देता है।

निगमित निकाय। उक्त परिवार इकाई, चाहे वह बड़ी हो या

अधीनस्थ, पारिवारिक संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान कर सकता है कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन। आम तौर पर प्रबंधक,

या परिवार के सदस्यों की सहमति से, व्यक्त या निहित, कोई अन्य सदस्य या सदस्य व्यवसाय कर सकता है या अधिग्रहण कर सकता है।

संपत्ति, उक्त कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन, या

परिवार की ओर से। ऐसा व्यवसाय या संपत्ति होगी

परिवार का व्यवसाय या संपत्ति। '

(जोर दिया गया)

1901 में, मद्रास उच्च न्यायालय सुदर्शनम मैस्त्री बनाम।

सिंहुलु मैस्त्री और एक अन्य ने निम्नानुसार अवलोकन किया था:

..... लेकिन जब तक एक परिवार एक अविभाजित इकाई बना रहता है, दो या

इसके अधिक सदस्य-चाहे वे अलग-अलग के सदस्य हों

शाखाएँ या परिवार की एक और खेल शाखा,-हो सकती है

एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है; लेकिन यदि वे इसमें किसी शाखा या उप-शाखा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, वे

बड़े निगम के भीतर एक अलग और अलग निगम इकाई बना सकते हैं।

निगमित इकाई और ऐसी संपत्ति धारण करें, ऐसी संपत्ति हो सकती है

पैतृक पूर्वज का स्व-अधिग्रहण या 'बाधित विरासत'

उस शाखा की, जो अन्य शाखाओं से अलग है

संपत्ति उस शाखा और केवल उस शाखा में आई है

' 'अबाधित विरासत' या यह किसी एक का स्व-अधिग्रहण हो सकता है या

उस शाखा के अधिक व्यक्तिगत सदस्य, जो पक्षों के कार्य द्वारा

स्वामित्व वाली संयुक्त संपत्ति के चरित्र से प्रभावित हुआ है

उस शाखा और केवल उस शाखा द्वारा, दूसरे को छोड़कर शाखाएँ "।

उपरोक्त स्थिति के आलोक में, पिता या सबसे बड़े सदस्य

बड़े जोड़ के भीतर छोटे संयुक्त परिवार की एक शाखा का कर्ता

यू परिवार, ऐसी शाखा निकाय के भीतर अधीनस्थ या अलग इकाई है।

15. 1961 के विभाजन में परिवार की तीन शाखाएँ थीं -

वरिष्ठ द्वारा भेजा गया-सबसे अधिक सदस्य, यानी, पिता के प्रमुख के रूप में

संबंधित शाखाएँ, अर्थात्, पटेल मालेगौड़ा, मोगन्नागौड़ा @पुट्टास्वामीगौड़ा और एम. सी. रुद्रप्पा। विभाजन वैध है और तीनों शाखाओं के सदस्यों/सह-भागीदारों के लिए बाध्यकारी है। इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 4, यानी एम. आर. राजशेखर और चार के बीच अंतर विभाजन। वादी, उनके संबंधित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था क्योंकि वे अपनी शाखाओं में पिता या सबसे बड़े थे।

16. इस स्तर पर, हम एम. अरुमुगम बनाम में इस अदालत के हाल के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। अम्मनियम्मल और अन्य, 10 1 0 जिसके बाद

उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 का उल्लेख करते हुए, यह निम्नानुसार देखा गया था:

" 19. कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का प्रबंधक होता है। वह संयुक्त परिवार के नाबालिग सदस्यों का संरक्षक नहीं है। अधिनियम की धारा 6 में जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि एक

नाबालिग हिंदू का स्वाभाविक संरक्षक सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए उसका संरक्षक होगा, सिवाय इसके कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग का अविभाजित हित क्या है।

चिंतित हैं। इसका मतलब यह होगा कि प्राकृतिक संरक्षक ऐसा नहीं कर सकता है

संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के हिस्से का निपटान करें। इसका कारण यह है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का कर्ता प्रबंधक होता है

संपत्ति से। हालाँकि, यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच पारिवारिक समझौता हो रहा हो। जब ऐसा विघटन होता है और कुछ सदस्य कर्ता के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ देते हैं, तो यह स्पष्ट है कि कर्ता उस नाबालिग के संरक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है जिसका हिस्सा कर्ता के पक्ष में छोड़ा जा रहा है। हितों का टकराव होगा। ऐसी स्थिति में केवल माँ ही स्वाभाविक संरक्षक होगी और इसलिए, उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ को अमान्य दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता है। कम से कम, यह अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में एक अमान्य दस्तावेज था और इसे तीन साल के भीतर चुनौती दी जानी चाहिए थी।

वादी का बहुमत प्राप्त करना।

हमारे विचार में यह निर्णय एक अलग कानून निर्धारित नहीं करता है, और श्री नारायण बल (उपरोक्त) के अनुपात के विपरीत नहीं है। इन. एम.

अरुमुगम (ऊपर), न्यायालय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की पूर्व-संशोधित धारा 6 द्वारा शासित स्थिति से निपट रहा था, जो एक सह-भागीदार की मृत्यु पर मानित विभाजन को अभिनिर्धारित करता है। हिंदू के तहत

उत्तराधिकार अधिनियम, मृतक सह-भागीदार की संपत्ति की विरासत

10 (2020) 11 एससीसी 103।

एम. आर. विनोदा बनाम एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)। और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

त्याग विलेख के निष्पादन के समय, प्रतिवादी संख्या 4 के पास सबसे बड़े भाई होने के नाते प्रतिनिधित्व करने का अधिकार और अधिकार नहीं था और अपनी शाखा का प्रबंधन करें। वादी नं. 3 के पिता, जिनकी 1967 में मृत्यु हो गई थी, प्रतिवादी नं. 4, शाखा के सबसे बड़े भाई कर्ता होने के नाते, अकेले ही संयुक्त हिंदू परिवार की शाखा की ओर से संपत्ति का प्रबंधन कर सकते थे, जिसके वे प्रमुख थे।

18. विचार के लिए दूसरा सवाल यह है कि क्या एक कर्ता के रूप में

या शाखा के प्रमुख, एम. आर. राजशेखर, यानी प्रतिवादी संख्या 4, अपनी शाखा की ओर से प्रदर्शनी पी-2 चिह्नित त्याग विलेख को वैध रूप से निष्पादित कर सकते थे? इस मुद्दे का जवाब अच्छी तरह से तय किया गया है, और उस संदर्भ के लिए थम्मा वेंकट सुब्बम्मा (मृत) को भेजा जाना है।

एल. आर. वी. थम्मा रत्तम्मा और अन्य ", कौन सा निर्णय संदर्भित करता है

13 मुल्ला के हिंदू कानून का प्रासंगिक भाग, पंद्रहवां संस्करण, अनुच्छेद 258 इस प्रकार है: अविभाजित ब्याज का उपहार। (1) मिताक्षर कानून के अनुसार, जैसा कि सभी राज्यों में लागू होता है, कोई भी सह-भागीदार उपहार द्वारा सह-संपत्ति में अपने अविभाजित हित का निपटान नहीं कर सकता है। इस तरह का लेन-देन पूरी तरह से अमान्य होने के कारण कोई रोक या अन्य प्रकार का व्यक्तिगत प्रतिबंध नहीं है जो दाता को हस्तांतरित राशि की वसूली के अपने अधिकार का दावा करने से रोकता है। संपत्ति। हालाँकि, वह अन्य सह-भागीदारों की सहमति से अपने हित का उपहार दे सकता है। "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 17. हालाँकि, यह एक स्थापित कानून है जिसे एक सह-भागीदार बना सकता है सह-भागीदार संपत्ति में उसके अविभाजित हित का उपहार किसी अन्य सह-भागीदार या किसी अजनबी को अन्य सभी सह-भागीदारों की पूर्व सहमति से। इस तरह का उपहार काफी कानूनी और वैध होगा।

यह निर्णय अपने हिस्से के सह-भागीदार द्वारा उपहार और त्याग के बीच अंतर करता है; और शाखा के प्रमुख या कर्ता के रूप में

शाखा का प्रतिनिधि या सबसे बड़ा सदस्य। पूर्व वैध और कानूनी है, बशर्ते त्याग अन्य सभी सह-भागीदारों के पक्ष में हो। उपहार या त्याग भी वैध होगा यदि यह किसी अन्य सह-भागीदार की पूर्व सहमति से है। समान रूप से, एक सह-भागीदार अन्य सह-भागीदारों की पूर्व सहमति से सह-भागीदार संपत्ति में अपने अविभाजित हित का उपहार किसी अन्य सह-भागीदार को दे सकता है।

19. मुल्ला का हिंदू कानून, अनुच्छेद 262 के 22 वें संस्करण में कहा गया है कि

एक सह-भागीदार एक निकाय के रूप में अन्य सह-भागीदारों के पक्ष में अपनी रुचि का त्याग कर सकता है, लेकिन उनमें से एक या अधिक के पक्ष में नहीं। जब वह उनमें से एक या अधिक के पक्ष में त्याग करता है, तो त्याग अन्य सभी सह-भागीदारों के लाभ के लिए होता है, न कि केवल सह-भागीदार या सह-भागीदारों के लाभ के लिए जिनके पक्ष में त्याग किया जाता है। एक समान

हिंदू कानून और उपयोग पर मेनी के ग्रंथ, 17 वें संस्करण में अनुच्छेद 407 में कहा गया है कि एक सह-भागीदार द्वारा दूसरे सह-भागीदार या सह-भागीदारों के पक्ष में अपने पूरे अविभाजित हित का उपहार

मान्य है चाहे वह दूसरे की सहमति से किया गया हो या दूसरों की सहमति से किया गया हो या सभी के पक्ष में अपने हित का त्याग माना जाता है। थम्मा वेंकट सुब्बम्मा (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख करते हुए, हिंदू कानून और उपयोग पर मेयने के ग्रंथ में कहा गया है कि प्रत्यक्ष उपहार के रूप में त्याग का त्याग का प्रभाव हो सकता है और यदि यह सभी सह-भागीदारों के लाभ के लिए है, तो इस तरह के उपहार को वैध माना जाएगा। इसके अलावा, मुल्ला का हिंदू कानून, 22 वां संस्करण यह मानता है कि एक पिता या अन्य पैतृक अचल संपत्ति का प्रबंधन करने वाला सदस्य "पवित्र उद्देश्यों" के लिए उचित सीमा के भीतर उपहार दे सकता है। 14

20. इस संदर्भ में, यह वैध रूप से तर्क दिया जा सकता है कि 13 मार्च 1969 का त्याग विलेख, प्रदर्शनी पी-2, जिसे चौथे द्वारा निष्पादित किया गया था।

प्रतिवादी अमान्य होगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में, त्याग विलेख की वैधता तय करने के लिए अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, हमें फिर से उस श्रेष्ठ शक्ति का उल्लेख करना चाहिए जो कर्ता को प्राप्त है और,

नतीजतन, अन्य सदस्यों की तुलना में उनके अधिक अधिकार और कर्तव्य हैं। ए कर्ता जब अन्य सह-भागीदारों ने सहमति दी हो तो वे संपत्ति को अलग कर सकते हैं।

1 4 पृष्ठ 332 और 333 पर अनुच्छेद 223 और 224, मुल्ला का हिंदू कानून, 22 वां संस्करण देखें।

एम. आर. विनोदा बनाम एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)।

और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

यह भी तय किया गया है कि एक कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति को अलग कर सकता है

मूल्य, या तो कानूनी आवश्यकता के लिए या संपत्ति के लाभ के लिए, परिवार के सभी अविभाजित सदस्यों के हितों को बांधने के लिए, चाहे वे वयस्क हों या नाबालिग या विधवा। 1 5 साबित करने के लिए कोई विशिष्ट आधार नहीं हैं कानूनी आवश्यकता का अस्तित्व, और इसलिए यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। कानूनी आवश्यकता के अस्तित्व पर निर्णय लेने में और इस तरह की कानूनी आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस बारे में एक कर्ता के पास व्यापक विवेकाधिकार होता है। 16 हालाँकि, यह देखा गया है कि कर्ता द्वारा शक्ति और अधिकारों का यह प्रयोग कानूनी आवश्यकता के अस्तित्व की कमी या संपत्ति को लाभ के अभाव के सीमित आधार पर चुनौती से परे नहीं है।

21. कानूनी माध्यम से केहर सिंह (मृत) में यह अदालत

प्रतिनिधि और अन्य v. नचितर कौर और अन्य ने कानूनी आवश्यकता की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए मुल्ला के हिंदू कानून पर भरोसा किया था:

" 20. मुल्ला ने अपनी उत्कृष्ट कृति हिंदू लॉ में अनुच्छेद 254 में किसी भी पैतृक संपत्ति को अलग करने के पिता के अधिकार पर चर्चा करते हुए कहा है, जो इस प्रकार है:

" अनुच्छेद 254

(1) अनुच्छेद 223 में उल्लिखित सीमा तक पैतृक चल संपत्ति और यहां तक कि अनुच्छेद 224 में उल्लिखित सीमा तक पैतृक अचल संपत्ति का उपहार देना; (2) पैतृक संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, जिसमें उसके बेटे, पोते और परपोते का ब्याज भी शामिल है, को अपने स्वयं के ऋण के भुगतान के लिए बेचना या गिरवी रखना, बशर्ते कि ऋण एक पूर्व ऋण था, और अनैतिक या अवैध उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था (अनुच्छेद 295)।

21. कानूनी आवश्यकता क्या है, यह भी मुल्ला द्वारा अनुच्छेद 241 में संक्षिप्त रूप से कहा गया था, जो निम्नानुसार है:

" अनुच्छेद 241

241. कानूनी आवश्यकता क्या है। अनुच्छेद 240 के अर्थ में निम्नलिखित को पारिवारिक आवश्यकता माना गया है:

15 हिंदू कानून और उपयोग पर मेयने का ग्रंथ, 17 वां संस्करण, अनुच्छेद 385। 16 मुल्ला का हिंदू कानून, 22 वां संस्करण, अनुच्छेद 242 ए।

17 1 7 (2018) 14 एससीसी 445।

(क) सरकारी राजस्व और ऋणों का भुगतान जो हैं - पारिवारिक संपत्ति से देय;

संपत्ति; (च) संयुक्त परिवार के मुखिया या किसी अन्य सदस्य को गंभीर आपराधिक आरोप से बचाने का खर्च;

(छ) पारिवारिक व्यवसाय या अन्य आवश्यक उद्देश्य के लिए किए गए ऋण का भुगतान। पिता के अलावा किसी अन्य प्रबंधक के मामले में,

केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि ऋण एक पूर्व-विद्यमान ऋण है।

यह निष्कर्ष निकालने के लिए उपरोक्त एकमात्र सूचकांक नहीं हैं कि क्या अलगाव वास्तव में कानूनी आवश्यकता के लिए था, और न ही कानूनी आवश्यकता स्थापित करने के लिए मानदंड की गणना प्रचुर

मात्रा में या अनुमानित भी हो सकती है। इसलिए यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। इसलिए, जब किसी पारिवारिक व्यवसाय द्वारा किए गए कर दायित्वों को पूरा करने के लिए संपत्ति बेची जाती है, तो इस तरह के अलगाव को कानूनी आवश्यकता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(मुल्ला का हिंदू कानून "22 वां संस्करण" देखें)

XX

XX

XX

26. एक बार कानूनी आवश्यकता के अस्तित्व का तथ्य साबित हो गया,

वे अपने पिता प्रीतम सिंह के साथ सह-भागीदारों में से एक थे। उनके खिलाफ दर्ज की जा रही कानूनी आवश्यकता के निष्कर्षों के आलोक में उन्हें इस तरह की बिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। यह तब अधिक था जब वादी किसी भी साक्षय द्वारा यह साबित करने में विफल रहा कि वाद भूमि की बिक्री के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी या सबूत ने प्रस्तुत किया था प्रतिवादियों द्वारा कानूनी आवश्यकता के अस्तित्व के तथ्य को साबित करने के लिए या तो अपर्याप्त या अप्रासंगिक था या कोई सबूत नहीं था। एम. आर. विनोदा बनाम

एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)।

और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

22. वर्तमान मामले में, विभाजन विलेख, प्रदर्शनी पी-1 में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों में सद्भाव की कमी के कारण, सदस्यों ने

उन्होंने संयुक्त हिंदू परिवार के दर्जे से अलग होने का फैसला किया। संयुक्त हिंदू संपत्तियों को तीन समूहों, पटेल मालेगौड़ा, मोगन्नागौड़ा @Puttaswamygowda और एम. सी. रुद्रप्पा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए तीन समूहों के बीच विभाजित किया गया था। विभाजन विलेख, प्रदर्शनी पी-1, स्वीकार करता है कि संयुक्त परिवार की स्थिति के दौरान, "सभी संपत्तियों" को एक सुरानशेट्टी को रुपये में गिरवी रखा गया था। 32,000 / - , किस बकाया ऋण राशि का निर्धारण किया गया था। इस ऋण का भुगतान मालेगौड़ा द्वारा लगभग 10 अन्ने और एम. सी. रुद्रप्पा द्वारा किया जाएगा।

लगभग 6 साल, जबकि मोगन्नागौड़ा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी।

13 मार्च 1969 को त्याग विलेख का निष्पादन, पी 2 प्रदर्शित करें। अब हम 13 मार्च 1969 को त्याग विलेख के निष्पादन की परिस्थितियों और कारण को दिखाने के लिए अभिलेख पर साक्षय और सामग्री का उल्लेख करेंगे, प्रदर्शनी पी-2। 24. निचली अदालत के फैसले में एम. आर. विनोदा,

पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने पुष्टि की थी कि जब 1961 में संयुक्त हिंदू संपत्तियों का विभाजन किया गया था, तो पटेल मालेगौड़ा ने संपत्ति को अपने हिस्से में रखा था। इसके अलावा जब पटेल मालेगौड़ा को 1961 में विभाजन के समय संपत्ति मिली थी, तो उनकी मृत्यु के बाद यह उनके बेटे शांतप्पा, यानी मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 के हिस्से में आ गई। नियमित प्रथम अपील की अदालत ने सुरानशेट्टी को ऋण के पुनर्भुगतान पर शांतप्पा (डी. डब्ल्यू.-1) के साक्षय का मूल्यांकन किया। डी. डब्ल्यू.-1 के अनुसार, उनके पिता, पटेल मालेगौड़ा ने बंधक के मोचन के लिए मैसूर अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें रुपये का समझौता किया गया था। 33,000 / - . पटेल मालेगौद ने रु। 25,000 / - और एम. सी. रुद्रप्पा द्वारा बंधक को भुनाने के लिए 8,000/- रुपये का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, पटेल मालेगौड़ा ने विभाजन विलेख (प्रदर्शनी पी-1) में निर्धारित राशि से बहुत अधिक राशि का भुगतान किया था।

25. प्रतिवादी सं। 21 9 19 और 3 ने अपनी परीक्षा में मुख्य रूप से स्वीकार किया

कि 1961 में विभाजन के समय, ऋण के संबंध में एक मुकदमा लंबित था 18 विचारण न्यायालय के समक्ष दलीलों के दौरान, प्रतिवादी सं। 1 और 3 ने तर्क दिया है कि पटेल मालेगौड़ा ने मोचन के लिए अदालती कार्यवाही की देखभाल की। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जो कोई भी अदालती मामलों की देखभाल करेगा, उसे मुकदमे की जमीन दी जानी थी। 19 हालाँकि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात एच. एम. पुट्टप्पा ने वादी के कथन की पुष्टि की।

प्रथम नियमित अपील की अदालत के समक्ष दलीलें, इसका निचली अदालत के समक्ष उनके बयान पर कोई परिणाम नहीं होगा और इसलिए, वर्तमान अपील के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा।

सुरानशेट्टी से लिया गया था, जिसे बाद में मैसूर अदालत में तय किया गया था। इसके अलावा, वादी का मुक़दमे की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था क्योंकि

वही उन लोगों के थे जिन्होंने अदालत के खर्चों को वहन किया मोचन सूट। राशि चुकाने के लिए, प्रतिवादी नंबर 1 के पिता, पटेल

मालेगौड़ा ने रुपये को छोड़कर पूरा खर्च चुका दिया था। 8,000 / - इसका भुगतान एम. सी. रुद्रप्पा ने किया था। इसके बाद स्थिति और शंकाओं को स्पष्ट करना।

त्याग विलेख, प्रदर्शनी पी-2,1969 में निष्पादित किया गया था।

26. विचारण न्यायालय ने अधिकारों के अभिलेख, प्रदर्शनी डी-2 पर भी भरोसा किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि एम. आर. नं. 1: 62-63 , बंधक 1968 में जारी किया गया था और एम. शांतप्पा के पिता पटेल मालेगौड़ा को 1962-63 से ही संपत्ति में अधिकार मिल गए थे। प्रदर्शनी डी-3 में भूमि सूचकांक, कॉलम संख्या 18 में, यह उल्लेख किया गया है कि पटेल मालेगौड़ा और नानजेगौड़ा के बेटे मोगन्नागौड़ा ने सुरानशेट्टी से संपत्ति जारी कराई थी, और पटेल के पक्ष में अधिकारों को छुड़ा लिया गया था

उनके बीच सहमत शर्तों के अनुसार मालेगौड़ा। निचली अदालत, उक्त दस्तावेजों के आगे के अवलोकन पर, डी-2 और डी-3 में,

27. त्याग विलेख, प्रदर्शनी पी-2, thatM.P बताता है। बासवराजू और एम. आर. राजशेखर को रु. 1,000 / - किसी को भी छोड़ने के लिए अधिकार या ब्याज जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी और स्वीकार किया था, और यह कि त्याग से पहले भी, उन्हें और उनके परिवार को वाद संपत्ति में कोई अधिकार या हित नहीं था। त्याग विलेख, प्रदर्शनी पी-2, पटेल मालेगौड़ा शाखा के अधिकारों और हितों की स्वीकृति थी।

28. अभिलेख पर साक्षय से यह स्पष्ट है, पटेल मालेगौड़ा

बंधक के मोचन में बड़े हिस्से का भुगतान किया था और मोचन मुकदमे में कानूनी कार्यवाही का प्रबंधन किया था। चुकौती

पटेल मालेगौड़ा द्वारा इस प्रकार किए गए कार्य ने पूरे परिवार के लिए ब्याज की सेवा की और जैसा कि 15 अप्रैल 1961 के विभाजन विलेख में दर्ज है, परिवार की "सभी संपत्तियों" को गिरवी रखा गया था। इस प्रकार, त्याग किया गया

एम. आर. राजशेखर और एम. पी. बासवराजू द्वारा पटेल मालेगौड़ा के पक्ष में पटेल मालेगौड़ा द्वारा किए गए ऋण के पुनर्भुगतान के कारण, विभाजन विलेख 15 अप्रैल, 1961 के माध्यम से तीन शाखाओं के बीच एक समझ के आधार पर, पी-1 प्रदर्शित करें। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के रूप में एम. आर. राजशेखर द्वारा किए गए त्याग से सभी सदस्यों को लाभ हुआ।

एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)। और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

उस शाखा के रूप में यह परिवार की तीन शाखाओं के बीच खातों का निपटान करता है। चूँकि पटेल के साथ खाते का निपटान करने की कानूनी आवश्यकता थी

अपनी प्रबंधकीय शक्ति के इस तरह के प्रयोग में संपत्ति में हिस्से को छोड़ने का हकदार था। 13 मार्च 1969 का त्याग विलेख, प्रदर्शनी पी-2, संयुक्त परिवार की उसकी शाखा के प्रमुख होने के नाते चौथे प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया जाना कानूनी आवश्यकता और परिवार की उसकी शाखा से संबंधित संपत्ति के लाभ के लिए था।

29. लेन-देन के अमान्य होने या उस मामले में त्याग की वैधता का सवाल तथ्यों पर निर्भर करता है। यह. न्यायालय के अवलोकन के लिए अभिलेख पर खरीदे गए प्रासंगिक तथ्यों के निर्धारण की जांच है। लेन-देन की प्रकृति आवश्यक है।

विलेख के नाम के बजाय सार के आधार पर निर्धारित किया जाना। दस्तावेजों को उनके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए, जिनके लिए उन्हें दिए गए लेबल बहुत प्रासंगिक नहीं होंगे। इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम करते हैं

यह न सोचें कि त्याग विलेख को, भले ही कानूनी आवश्यकता या लाभ की कमी के बारे में बहस हो, घोषित किया जा सकता है और इसे अमान्य माना जा सकता है और

शून्य।

30. वर्तमान अपीलार्थी सहित वादी ने वाद में ऐसा किया था

1967 में उनके पिता, एम. सी. रुद्रप्पा की मृत्यु पर हिस्से की विरासत के आधार पर उनके मामले की भविष्यवाणी न करें। वादी संख्या 3 ने वर्तमान अपील में मानित विभाजन की याचिका नहीं उठाई है। अन्यथा भी,

हम वादी संख्या 3 को पहली बार हमारे सामने इस विवाद को उठाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिवादियों को तथ्यों पर आधारित बचाव करने से वंचित और वंचित कर देगा।

स्वीकृति और पुनर्स्थापन का अधिकार; इस दलील के अलावा कि मुकदमा है

31. यह हमें सीमा के सवाल पर लाता है। 13 मार्च 1969 के त्याग विलेख, प्रदर्शनी पी-2 की वैधता को चुनौती दी गई थी। 18 नवंबर 1994 को दायर किए गए मुकदमे के माध्यम से।

32. उक्त पहलू पर हम सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 58,59,60 और 109 को पुनः प्रस्तुत और संदर्भित करना चाहेंगे, जो

पढ़िए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूट का विवरण

जिस समय से अवधि शुरू होती है

की अवधि

सीमा

भागने के लिए

58. किसी भी प्राप्त करने के लिए

जब मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होता है।

तीन।

अन्य घोषणा।

वर्षों

59. रद्द या सेट करने के लिए

जब वादी को अधिकार देने वाले तथ्य

एक उपकरण को अलग रखें

तीन।

दस्तावेज़ या डिक्री को रद्द कर दिया जाए या

या आदेश या के लिए

पहले अनुबंध को अलग कर दें या रद्द कर दें

वर्षों

ए का पुनरुत्थान

उससे परिचित हो जाओ।

अनुबंध।

60. ए को अलग रखने के लिए

संपत्ति का हस्तांतरण

द्वारा बनाया गया

ए के संरक्षक

जब वार्ड बहुमत प्राप्त करता है

वार्ड

तीन।

(क) वार्ड द्वारा जो

वर्षों

है।

प्राप्त किया

((b) वार्ड द्वारा कानूनी

जब वार्ड बहुमत प्राप्त करता है।

प्रतिनिधि

तीन।

((i) जब वार्ड

जब वार्ड मर जाता है।

वर्षों

तीन के भीतर मर जाता है

तारीख से साल

में से

प्राप्त करना

तीन।

बहुमत;

वर्षों

((ii) जब वार्ड

मर जाता है।

इससे पहले

बहुमत प्राप्त करना।

बारह।

109. एक हिंदू द्वारा

जब विदेशी लेता है

शासित

संपत्ति का अधिकार।

द्वारा

वर्षों

मिताक्षर कानून अपने पिता को छोड़ कर

अलगाव

में से

पैतृक संपत्ति।

33. हमारी राय में अनुच्छेद 60 लागू नहीं होगा क्योंकि यह मामला नहीं है।

किसी वार्ड के संरक्षक द्वारा की गई संपत्ति का हस्तांतरण। अनुच्छेद 109 मिताक्षर कानून द्वारा शासित पैतृक संपत्ति के पिता के अलगाव को दरकिनार करने के लिए एक शिकायत पर लागू होता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार, मुकदमा 12 साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए जब विदेशी संपत्ति का कब्जा ले लेता है। जब हम अनुच्छेद 109 को लागू करते हैं, तो मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित होगा क्योंकि यह 1994 में दायर किया गया था, पटेल मालेगौड़ा शाखा के पक्ष में चौथे प्रतिवादी को त्याग विलेख (प्रदर्शनी पी-2) निष्पादित किए जाने के लगभग 24 साल बाद और वादी संख्या 3 के 1973 में बहुमत प्राप्त करने के लगभग 21 साल बाद। इसी कारण से, मुकदमे को संविधान के अनुच्छेद 58 और 59 के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा।

सीमा अधिनियम, जैसा कि यह अनुच्छेद 58 के अनुसार पहले उपार्जित मुकदमा करने के अधिकार की तारीख से तीन साल बाद दायर किया गया था और जब वादी को लिखत या डिक्री को रद्द करने या अलग रखने का अधिकार देने वाले तथ्य या एम. आर. विनोदा बनाम।

एल. आर. एस. द्वारा एम. एस. सुशीलम्मा (डी)। और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

रद्द किया गया अनुबंध पहले वादी के संज्ञान में आया क्योंकि अनुच्छेद 59 के अनुसार। उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, वादी की विशिष्ट और असत्य याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया कि मुकदमा दायर करने से दो महीने पहले तक, वे अनजान थे और अपने बड़े भाई, चौथे प्रतिवादी द्वारा त्याग विलेख के निष्पादन के बारे में नहीं जानते थे।

34. उपरोक्त कारणों से हम इस अपील को खारिज करते हैं और उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखते हैं जिसमें सीमितता द्वारा वर्जित मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। तदनुसार आदेश जारी किया जाएगा। इस बारे में कोई आदेश नहीं होगा

लागतें।

देविका गुजराल

याचिकाएं

खारिज कर दी गईं।